



SHAKUNTALA VIDYALAYA

Affiliated to CBSE New Delhi Affiliation No.-3330091

English Medium Senior Secondary School

Ramnagar, Bhilai, Dist-Durg (C.G.)-Ph. (0788)-4033217 Fax - 0788- 2295680

REF NO: F.NO.SVR/MANYATA/2020/3498

School No - 15212

DATE : 15.12.2020

प्रति,

श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी,
दुर्ग (छ.ग.)

द्वारा : सहायक नोडल अधिकारी, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वैशाली नगर भिलाई
दुर्ग (छ.ग.)

विषय : कक्षा नर्सरी से बारहवीं तक की अंग्रेजी माध्यम के विभागीय मान्यता अनुमति हेतु आवेदन
प्रस्तुत करने बाबत ।

महोदय,


उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि स्व. शकुन्तला देवी एजुकेशन सोसायटी, भिलाई द्वारा
संचालित शकुन्तला विद्यालय, रामनगर भिलाई को वर्ष 2018-19 में
जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग द्वारा तीन वर्षों के लिए अस्थायी मान्यता / अनुमति प्रदान की गई थी
जो कि इस सत्र 2021-22 तक पूरी हो रही है ।

अतः आपसे निवेदन है कि संस्था को मान्यता / अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ।


संलग्न


- 1) प्रारूप एक - 2 प्रति
- 2) निर्धारित प्रारूप - 2 प्रति
- 3) समस्त आवश्यक दस्तावेज (चेकलिस्ट अनुसार) - 2 प्रति

हस्ताक्षर


Principal
Shakuntala Vidyalaya
Ramnagar, Bhilai (C.G.)

2-File Received


PRINCIPAL
Govt. Girls Higher Sec. School
Vaishali, Bhilai


Principal
Shakuntala Vidyalaya
Ramnagar, Bhilai (C.G.)

चलो चलाएँ
शिक्षा गुणवत्ता अभियान
और बढ़ाएँ
हम अपना सम्मान



पेम्प - पैवाली नगर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)

शकुन्तला विद्यालय रामनगर भिलाई
जिला-दुर्ग

विद्यालय मान्यता प्रमाण-पत्र

मंत्र - 22/10/2018 से 22/10/2021
Principal
Shakuntala Vidyalaya
Ramnagar, Bhilai (C.G.)

----- कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)-----

क्रमांक / 639 / मान्यता / 2018
प्रति,

दुर्ग, दिनांक 15/10/18.....

प्रबंधक, स्व. शकुन्ता देवी स्त्रोत्रेण राम राम राम
राम राम राम राम राम

विषय :- नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिये नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया, आपके आवेदन पत्र की तारीख 28/09/2018 के संदर्भ में और इन संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरांत नि:शुल्क/सहायक निरीक्षण (विद्यालय का नाम पूरा सहित) को तारीख 23/10/2018 से 23/10/2018 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कक्षा नववी/दशवी से 12 वी तक माध्यम शिक्षा/सहायक के लिये अंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है :-

- मान्यता की स्वीकृत विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात मान्यता /संबद्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25/7 प्रतिशत तक आस - पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा। परंतु यह और भी के पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जावेगा।
- पैरा 03 में निर्दिष्ट बच्चों के लिये विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता / पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया में अध्यधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बच्चों को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और यह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-

- (एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चों को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेरल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जावेगा।
- (दो) किसी भी बच्चों को शारीरिक दण्ड या मानसिक उपरीक्षण नहीं किया जायेगा।
- (तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चों से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (पांच) अधिनियम के उपबंधों " च " के अनुसार नि:शुक्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(छ:) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन या अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परंतु यह और भी कि विद्युत्तन अद्ययत्त नियम के प्रायोजन के प्रायोजन पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है। 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।

(सात) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। और

(आठ) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालयों के मानकों और स्तरियों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रतिक्रियाएं निम्नानुसार है :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 15.6 है।
 कुल निर्मित का क्षेत्रफल 4.916 है।
 खेल के मैदान का क्षेत्रफल 4.2 है।
 कक्षाओं की संख्या 59 है।

प्रधानपाठक-सह-कार्यालय-सह-मण्डार के लिए कक्ष 15

बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय 40+30

पेयजल सुविधा है।

मध्यान्न भोजन पकाने हेतु रसोई है।

बाधारहित पहुंच है।

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूद के उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई नैर मान्यता प्राप्त कक्ष नहीं चलाई जाएगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और खेल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन न्यति किसी लोकन्याय द्वारा चलाया जा रहा है।

12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा समपरीक्षा कर ली जानी चाहिए और उनके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आर्बिट्रि कोड संख्यांक 12/201/08 है। कृपया इसे ग्रेट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और प्रस्तुत सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के तहत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाएं।

17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई बात

Principal
 Shakuntala Vidyalyaya
 Ramnagar, Bhitai (C.G.)
 जिला शिक्षा अधिकारी
 दुर्ग